

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक: प.7(4)परि/नियम/मु./2015 / 4683

जयपुर, दिनांक: 20/3/2015

अधिसूचना

मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 28 की उप-धारा (2) के खण्ड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करती है। उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार निम्नलिखित प्रारूप नियम, उससे संभाव्यतः प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की सूचना के लिए इसके द्वारा प्रकाशित किये जाते हैं और उन्हें इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर, उस तारीख से, जिसको राजपत्र में यथा-प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करायी जाती हैं, 10 दिवस की कालावधि के अवसान के पश्चात्, विचार किया जायेगा।

किसी भी ऐसे आक्षेप या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप नियमों के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति से ऊपर यथा विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान के पूर्व प्राप्त हों, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा। ऐसे आक्षेप या सुझाव परिवहन आयुक्त और शासन सचिव, परिवहन विभाग, सहकार मार्ग, जयपुर का सम्बोधित किये जाने चाहिए।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.— (1) इन नियमों का नाम राजस्थान मोटर यान (प्रारूप संशोधन) नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 2.22 का संशोधन.— राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 2.22 में, विद्यमान उप-नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप-नियम (3) जोड़ा जायेगा, अर्थात्:—

“(3) महिला आवेदक की दशा में, प्रशिक्षु अनुज्ञप्ति और चालन अनुज्ञप्ति के जारी किये जाने के लिए विहित फीस की पचास प्रतिशत रकम की छूट दी जायेगी।”

राज्यपाल के आदेश से,



(डॉ. मनीषा अरोड़ा)

संयुक्त शासन सचिव

**Government of Rajasthan
Transport Department**

No. F 7(4)/Pari/Rules/H.Q./2015 / 4683

Jaipur, Dated: 20/3/2015

Notification

In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (2) of section 28 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988), the State Government proposes to make the following rules further to amend the Rajasthan Motor Vehicles Rules, 1990. The following draft rules are hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act, for information of the persons likely to be affected thereby and notice is hereby given to them that the said draft would be taken in to consideration after the expiry of a period of ten days from the date on which the copies of this notification as published in the official Gazette are made available to the public.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period as specified above shall be considered by the State Government. Such objections and suggestions should be addressed to the Transport Commissioner and Secretary to the Government, Transport Department, Sahkar Marg Jaipur.

Draft Rules

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Motor Vehicles (Draft Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. Amendment of rule 2.22.- In rule 2.22 of the Rajasthan Motor Vehicles Rules 1990, after the existing sub-rule (2), the following new sub-rule (3) shall be added, namely:-

“(3) In case of woman applicant, fifty percent amount of fee prescribed for issuance of learner’s license and driving license shall be exempted.”

By order of the Governor,



(Dr. Manisha Arora)

Jt. Secretary to the Government
सयुक्त सचिव (सु.)